वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सा०/No. : 5-1(38)/2008-PD दिनांक/Dated: 04.07.2024

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
To : The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

विषय : सरोगेसी में मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश और पितृत्व अवकाश देने हेतु केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43 के संशोधन के संबंध में ।

Sub : Amendment of Rule 43 of CCS (Leave) Rules, 1972 for grant of Maternity Leave, Child Care Leave and Paternity Leave on Surrogacy - reg.

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे, उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 18.06.2024 की अधिसूचना सं सा.का.नि. 331(अ) को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

I am directed to forward herewith the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training Notification No. G.S.R. 331(E) dated 18.06.2024 on the above mentioned subject for your information, guidance and compliance.

भवदीय/Yours faithfully,

Digitally signed by M ARUN MANIKANDA BHARATHI

अवर सचिव (नीति प्रभाग) / Under Secretary (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट/ CSIR Website.

2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788 Gram : CONSEARCH, NEW DELHI Website : http://www.csir.res.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062024-254780
CG-DL-E-18062024-254780

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 18, 2024/ज्येष्ठ 28, 1946
No. 308] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

सा.का.नि. 331(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) (संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 43 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6) सरोगेसी की दशा में, सरोगेट के साथ अधिष्ठाता माता जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, एक अथवा दोनों के सरकारी सेवक होने की दशा में, 180 दिन का मातृत्व अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 43 क के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) सरोगेसी के माध्यम से प्राप्त बच्चे की दशा में अधिष्ठाता पिता, जो सरकारी सेवक है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को बच्चे के जन्म की तारीख से 6 मास की कालावधि के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा।

4. उक्त नियमों के नियम 43 ग के उपनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(8) सरोगेसी की दशा में अधिष्ठाता माता, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, को शिशु देखभाल अवकाश अनुदत्त किया जा सकेगा।

टिप्पण (1) :- 'अधिष्ठाता माता' पद से सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आशय रखने वाली माता अभिप्रेत होगी।

टिप्पण (2) :- 'सरोगेट माता' पद से ऐसी महिला अभिप्रेत होगी जो अधिष्ठाता माता के निमित्त बच्चे को धारण करती है।

टिप्पण (3):- इस नियम में 'अधिष्ठाता पिता' पद से सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आशय रखने वाला पिता अभिप्रेत होगा।"।

[फा. सं. ए-24011/21/2023-स्था. अवकाश]

मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव

टिप्पण —मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में का. आ. सं. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं.सा.का.नि. 374(अ) तारीख 15 मई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 18 मई, 2023 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था। का.आ.सं.940

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department Of Personnel And Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

G.S.R. 331(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely: -

1.(1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 43, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) In case of surrogacy, the surrogate, as well as the commissioning mother with less than two surviving children, may be granted maternity leave of 180 days, in case either or both of them are Government servants.

3. In the said rules, in rule 43-A, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) In case of a child begotten through surrogacy, the commissioning father who is a male Government servant with less than two surviving children may be granted paternity leave of 15 days within the period of 6 months from the date of delivery of the child.

4. In the said rules, in rule 43-C, after sub-rule (7), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(8) In case of surrogacy, the commissioning mother with less than two surviving children, may be granted child care leave.

Note 1:- The expression 'commissioning mother' shall mean the intending mother of the child born through surrogacy.

Note 2:-The expression 'surrogate mother' shall mean the woman who bears the child on behalf of the commissioning mother.".

Note 3:- The expression 'commissioning father' in this rule shall mean the intending father of the child born through surrogacy.".

[F.No. A-24011/21/2023-ESTT-Leave]

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated 8th April, 1972 vide number S.O. 940, dated the 15th March, 1972 and last amended vide notification number G.S.R. 374(E)dated the 15th May, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section III, Sub-section(i), dated the 18th May, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.06.18 21:37:57 +05'30'